प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1016/2008

निर्णय सुरक्षित किया गया : 25–06–2025

निर्णय पारित किया गया :14–08–2025

1. रोहित कुमार, पिता धनपत सतनामी, 53 वर्ष

2. श्यामा बाई पिता धनपत सतनामी, 40 वर्ष

दोनों गाँव खैरवार खुर्द, पुलिस थाना मुंगेली, जिलाबिलासपुर (छ.ग.) के निवासी है

--- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना मुंगेली,के द्वारा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 1017/2008

हरेकृष्ण चतुर्वेदी पिता धनपत चतुर्वेदी, 29 वर्ष, निवासी ग्राम खैरवार खुर्द, पुलिस थाना मुंगेली, जिलाबिलासपुर (छ.ग.)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना मुंगेली के द्वारा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री अजय पांडे, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

01.चूँकि ये दोनों अपीलें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी, मुंगेली, जिला बिलासपुर द्वारा एस.टी. क्रमांक 9/2007 और 17/2007 में दिनांक 22.11.2008 को पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनका निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।आक्षेपित निर्णय के अनुसार, प्रत्येक अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया जाता है और सात वर्ष के कठोर कारावास का दंड पारित किया गया है ।

02. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि सुखमनी बाई का विवाह अभियुक्त हरेकृष्ण सतनामी के साथ घटना की तिथि से लगभग चार वर्ष पूर्व हुआ था।29.9.2006 को वह अपने ससुराल में 60% जल गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोरमी में भर्ती कराया गया।डॉक्टर से सूचना मिलने के बाद, उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया था।हालाँकि, उसे छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सी. आई. एम. एस.), बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ उपचार के दौरान 4.10.2006 को उसकी मृत्यु हो गई।मर्ग जांच के दौरान पता चलता है कि आरोपीगण उसे दहेज के रूप में उसके मायके से मोटरसाइकिल और 40,000 रुपये नकद लाने के लिए प्रताड़ित और परेशान करते थे, जिसके परिणामस्वरूप या तो उसने आत्मदाह कर लिया या आरोपियों द्वारा उसे जला दिया गया।मृतका का पोस्टमार्टम करने, घटनास्थल का नक्शा तैयार करने, मृतका के जले हुए कपड़ों को जब्त करने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी/34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किए गए, जिसे आरोपियों ने खारिज कर दिया और उन्होंने विचारण चलाने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अपने मामले को पुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षीयों से परीक्षा की। आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन मामले में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली सभी दोषपूर्ण परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया।

04. संबंधित पक्षों के अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पश्चात् विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों हेतु दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।अत:, ये अपीलें प्रस्तुत किया गया है।

05. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि विवादित निर्णय स्वयं में अवैध है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है।डॉ. गजेंद्र सिंह दाऊ (पीडब्लू–1) द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन प्र.पी/2 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह आकस्मिक मृत्यु का मामला है और इस तथ्य की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी/12 से भी होती है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि जलने की घटना मृत्युपूर्व प्रकृति की है। उन्होंने आगे कहा कि जाँच रिपोर्ट तैयार करते समय, यद्यपि मृतका के पिता (पीडब्लू–4 सतानंद भास्कर) उपस्थित थे, उन्होंने उस समय अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज की माँग का कोई आरोप नहीं लगाया था और घटना के लगभग तीन महीने बाद ही साक्षीयों ने पुलिस को दिए अपने बयानों में अभियुक्तों के विरुद्ध बयान दिए, जो कि एक बाद की सोच के अलावा और कुछ नहीं है।विद्वान विचारण न्यायालय ने मुख्य साक्षीयों अर्थात् मृतका के माता–पिता, पीडब्लू–3 जिल्लर बाई और पीडब्लू–4 सतानंद के बयानों में प्रमुख विरोधाभास और चूक को ठीक से सराहना नहीं की।उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र साक्षीयों की उपलब्धता के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने उनसे पूछताछ नहीं की, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर संदेह पैदा होता है। यद्यपि मृतका के माता–पिता ने कहा है कि विवाह के तुरंत बाद से ही आरोपीगण उसे दहेज के लिए परेशान और दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि दहेज की मांग के संबंध में उन्होंने कभी भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और इस संबंध में कभी कोई सामाजिक बैठक भी नहीं बुलाई गई।अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू–13) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका की मृत्यु से पहले, मृतका या उसके माता–पिता ने कभी भी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।इसके अलावा,एफआईआर दर्ज करने में 83 दिनों की अत्यधिक देरी हुई है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304 बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, जबकि रिकॉर्ड में मौजूद समग्र साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।अतः, यह आक्षेपित निर्णय अवैध और विकृत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शाम लाल बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1997 एससी 1873 मामले में दिए गए **निर्णय पर भरोसा किया गया है; कर्नाटक उच्च न्यायालय के डॉ. सीतारामैया बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 क्रि.एल.जे. 3389 मामले में दिए गए निर्णय पर; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रमैया @ रामा बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2014 एससी 3388 मामले में दिए गए निर्णय पर; मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2015 एससी 2081 मामले में दिए गए निर्णय पर;माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीआरए संख्या 447/2012 के चरणसिंह @ चरणजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के निर्णय पर; और संतोष कुमार एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 205/2005 दिनांक 5.2.2025 ।**

06. दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं के तर्क का विरोध करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियुक्तों के आचरण का उचित मूल्यांकन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के बाद यह निष्कर्ष सही रूप से दर्ज किया है कि उन्होंने मृतका की दहेज हत्या की।अतः, चूंकि आक्षेपित निर्णय पूर्णतः कानून के अनुरूप है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

07. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया

08. विद्वत विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों/अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत आरोप लगाए गए थे तथा अभिलेख पर मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना के पश्चात् , विद्वत विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया तथा आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत दंड पारित किया गया ।

09. इस मामले में यह आक्षेपित नहीं है कि मृतक सुखमनी बाई हरेकृष्ण चतुर्वेदी की पत्नी तथा श्यामाबाई तथा रोहित कुमार की बहू थीं।हरेकृष्ण के साथ उनका विवाह 23.4.2008 से लगभग चार वर्ष पहले हुआ था ।उन्हें 60 प्रतिशत जलने की चोटों के साथ 29.9.2006 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा 4.10.2006 पर उन्होंने दम तोड़ दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पीडब्लू–12 डॉ. महेश कुमार रावतराम ने डॉ. वी. के. पाठक के साथ 5.10.2006 पर मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया तथा पाया कि वह 70 प्रतिशत थर्ड डिग्री से जली हुई थी।उनकी राय में, यह मृत्यु–पूर्व जलन थी जो दुर्घटनावश हुई हो सकती है, मृत्यु का कारण जलने से हुई चोटों के कारण सेप्टीसीमिया के परिणामस्वरूप हृदय–श्वसन विफलता थी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स.पी/12 है, जिस पर ए से ए भाग तक उनके हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग तक डॉ. पाठक के हस्ताक्षर हैं।

11. पीडब्लू–1 डॉ. गजेंद्र सिंह दाऊ ने मृतका का मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया।उन्होंने कहा कि उन्होंने 29.9.2006 को लगभग 11 बजे रात को मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि लगभग 9.30 बजे जब वह अलमारी में रखी चीजें निकाल रही थी, उसी समय चिमनी उसके ऊपर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जल गई।इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या उसे किसी ने जलाया था, उसने नकारात्मक उत्तर दिया।मृत्यु पूर्व कथन प्र.पी/2 है, जिसमें भाग 'अ' से भाग 'अ' तक उसके हस्ताक्षर हैं और भाग 'ब' से भाग 'ब' तक मृतका के अंगूठे का निशान है।न्यायालय द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि उसने मृतका का मृत्यु पूर्व कथन किस आधार पर दर्ज किया, उसने बताया कि उसे पुलिस थाना लोरमी से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर उसने उसका मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किया था।

12. मृतका की मां पीडब्लू.–3 जिलार बाई और पीडब्लू.–4 सतानंद भास्कर ने बताया कि सुखमनी बाई बताया करती थी कि हरेकृष्ण, रोहित और श्यामा बाई उसे मोटरसाइकिल और 40,000/– रुपये की नकदी के लिए परेशान और प्रताड़ित करते हैं, उसके खाने पर पानी डालते हैं और जलाकर मार डालने की धमकी देते हैं।प्रतिपरीक्षण में पीडब्लू.–3 जिलार बाई ने स्वीकार किया कि रक्षाबंधन के समय भी उसकी पुत्री ने उसे इस

दुर्व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और न ही कोई सामाजिक बैठक बुलाई गई और न ही किसी रिश्तेदार को इस बारे में बताया गया।वह तब स्वेच्छा से कहती है कि यह इस उम्मीद से नहीं किया गया था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।पीडब्लू–4 सतानंद ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री/मृतका या स्वयं उसके द्वारा पहले पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

13. मृतका की पड़ोसी पीडब्लू–5 रुखमणी कुर्रे ने बताया कि जब उसने मृतका से उसकी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसके जेठ और पति उसे 40,000–50,000 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करते हैं।प्रतिपरीक्षा में उसने पुलिस को दिए गए इस बयान से इनकार किया कि मृतका ने उसे 40,000–50,000 रुपये की मांग के बारे में बताया था और स्वेच्छा से कहा कि मृतका ने उसे 40,000 रुपये की मांग के बारे में बताया था।

14. मृतका के माता–पिता के बयानों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दोषी ठहराया, लेकिन पीडब्लू––1 डॉ. गजेंद्र के बयान से स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने मृत्युपूर्व बयान में कहा था कि जब वह अलमारी में रखी चीज़ें निकाल रही थी, उसी समय चिमनी उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जल गई। शव–परीक्षा सर्जन (पीडब्लू––12) का भी मानना है कि पीड़िता को दुर्घटनावश जलने की चोटें लगने की संभावना है।अन्वेषण के दौरान कोई अन्य मृत्युपूर्व बयान दर्ज नहीं किया गया।इसके अलावा, प्राथमिकी (प्रत्यक्ष पी/13) के अनुसार घटना 4.10.2006 को हुई थी, जबकि रिपोर्ट 27.12.2006 को दर्ज की गई थी और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी का कारण विलय जाँच बताया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह (सुप्रा) मामले में अपने निर्णय के कंडिका 11 और 21 में निम्नानुसार कहा:

“11. बैजनाथ मामले (उपर्युक्त) में भारतीय दंड संहिता की धारा 3048 और 498ए की व्याख्या पर विचार किया गया।इस मामले के कंडिका 25 से 27 में राय का सारांश दिया गया है, जो नीचे उद्धृत हैं: – "25.जबकि संहिता की धारा 304–बी द्वारा परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध में, इसके तत्व इस प्रकार हैं: (1) संबंधित महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो, और

(ii) उसकी विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो, और

(iii) उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था।संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध पति या उसके रिश्तेदार के विरुद्ध तब लागू होता है जब उसके साथ क्रूरता की गई है।इस धारा का स्पष्टीकरण "क्रूरता" को इस प्रकार उजागर करता है:

"(1) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो, या (II) महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हो या उसके या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।

26. इस प्रकार, स्पष्टतः, दहेज की मांग के रूप में या उससे संबंधित किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग के लिए या उसके संबंध में महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता या उत्पीड़न, दोनों अपराधों का सामान्य घटक है।

27. "दहेज" शब्द का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, "क्रूरता" शब्द में, उत्पीड़क के आचरण के अलावा, उस महिला पर पड़ने वाले परिणाम भी शामिल हैं।चाहे जो भी हो, दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता या उत्पीड़न, दोहराना चाहूँगा कि, दोनों अपराधों का मुख्य घटक है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य में, किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग या अन्य किसी कारण से मृतका के साथ की गई क्रूरता या उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया।बल्कि किसी ने भी उत्पीड़न का वर्णन नहीं किया है। यह केवल मोटरसाइकिल और ज़मीन की मांग के संबंध में कुछ मौखिक कथन हैं, जो घटना से बहुत पहले के हैं।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उपधारणा लागू करने की पूर्व–आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तत्व भी इसी कारण से नहीं बनते हैं क्योंकि मृतका की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं है।"

16. सीतारामैया और अन्य (सुप्रा) के मामले में, जहाँ मृतक के पिता जाँच के समय उपस्थित थे, उन्होंने अतिरिक्त दहेज की माँग के संबंध में कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, घटना के 10 दिन बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अभियोजन पक्ष दहेज और स्वीकृति के संबंध में आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।निर्णय के कंडिका 21,22 और 23 में यह इस प्रकार देखा गया थाः

"21. बेशक, अभियुक्त का बचाव यह है कि मृतका पेट दर्द और बाएँ निचले अंग में दर्द से पीड़ित थी, जिससे निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली।यह देखा गया है कि कुछ मौकों पर मृतका का अस्पताल में इलाज हुआ था, जिसके कुछ दस्तावेज़ पेश किए गए हैं।इसके अलावा, मृतका के पिता और अन्य गवाहों, यानी अभियोगी संख्या 6 और 7, माँ और बहन का यह विशिष्ट मामला है कि अभियुक्त मृतका को अपने परिवार के किसी भी समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहा था।अभियोजन पक्ष के अनुसार भी, मृतका ने प्रथम

अभियुक्त से अपने एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश समारोह में ले जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने उसे ले जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अभियोगी 5 से 7 के साक्ष्य में काफी जोर दिया गया है। निःसंदेह, प्रथम अभियुक्त के इस उदासीन रवैये के कारण मृतका ने अपमानित महसूस किया होगा या वह नाराज हुई होगी।सामान्यतः, पति–पत्नी के बीच पारिवारिक कलह को ही आत्महत्या का कारण नहीं कहा जा सकता और यह अभियुक्त के विरुद्ध यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध का दोषी है।

22. पी. डब्ल्यू 5 से 7 और पी. डब्ल्यू 15 के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मृतका द्वारा उनसे मिलने पर उत्पीड़न की शिकायत करने की बात कही है।हालांकि, इस संबंध में मृतक के परिवार द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई परिवाद दर्ज नहीं कराई गई है।इसके अलावा, यह बात सामने आई है कि मृतका अपने पति के साथ रह रही थी और शादी के बाद तीन साल तक उसने वैवाहिक जीवन बिताया और एक बच्चे को भी जन्म दिया।यह भी ध्यान में आया है कि कुछ गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, पहला आरोपी 20,000 रुपये की मांग कर रहा था और उन्होंने 15,000 रुपये देने की व्यवस्था भी कर ली थी। इस संबंध में, अभियोग संख्या 5 ने तालुका कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ भी नहीं कहा या फुसफुसाया।अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को फंसाने के लिए दहेज उत्पीड़न का मामला बनाना एक बाद की सोची–समझी साजिश है।दहेज वसूलने के साक्ष्य के संबंध में भी, अ.सा. 5 का कथन है कि दूसरे अभियुक्त ने दहेज की राशि वसूल की है, जबकि आगे के कथन में कहा गया है कि पहले अभियुक्त ने दहेज की राशि वसूल की है और यह अपने आप में दर्शाता है कि इसमें बहुत विरोधाभास है और प्र.डी.5 भी विरोधाभासी विवरण को दर्शाता है।इसके अलावा, मृतक की मृत्यु की जानकारी मिलने पर पीडब्लू 5 या 6 द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज न किए जाने के कारण, तहसीलदार द्वारा जाँच बयान दर्ज करते समय उनके द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के अलावा, पीडब्लू 5 द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए कोई अन्य कदम नहीं उठाया गया है।यहाँ तक कि कथित अपराधों के लिए प्राथमिकी भी दस दिनों के बाद ही दर्ज की जाती है। एक्स.डी4 से 6 में अंकित कुछ विरोधाभास दर्शाते हैं कि अभियुक्त द्वारा दहेज की ऐसी कोई माँग नहीं की गई है; हो सकता है कि मृतक को उसके रिश्तेदार के समारोह में शामिल न होने देने के संबंध में पति–पत्नी के बीच कुछ गलतफहमी हो, लेकिन इसे अपने आप में क्रूरतापूर्ण उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है।आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अपराध को साबित करने के लिए, दहेज उत्पीड़न के संबंध में अप्राकृतिक परिस्थितियों में शादी के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हुई होगी।पड़ोसी साक्षी के साक्ष्य मृतक के रिश्तेदारों के बयानों से मेल खाते हैं और उनका खंडन करते हैं। इसके अलावा, मृतक और अभियुक्त के साथ रहने वाले लड़के–पीडब्लू 7 ने भी किसी भी अप्रिय घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है जिससे अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी के तहत अपराधों का दोषी ठहराया जा सके। अगर कुछ राशि दी या ली भी गई है, तो ऐसा लगता है कि यह परिवार की स्थिति को देखते हुए एक प्रथा के रूप में है और भुगतान किए जाने का भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।मृतक के परिजनों के बयान को सत्य मानकर, विचारण न्यायालय ने विभिन्न विरोधाभासों और स्वीकारोक्ति तथा परिवाद दर्ज करने में हुये विलंब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर विचार किए बिना ही अभियुक्त को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया . परिवाद, वह भी पुलिस द्वारा, दस दिन बाद दर्ज की गई।प्री.डी1 से डी3 मृतक के रोगों के उपचार हेतु दिए गए नुस्खे हैं।पुलिस द्वारा मृतका की मृत्यु के 9 से 10 दिन बाद ही अभियोगी 5 का बयान दर्ज किया गया और अभियुक्त द्वारा कथित अतिरिक्त दहेज की मांग के संबंध में उसने जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बाद में किया गया विचार है और अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेषकर अ.सा. 5 से 7 द्वारा इसमें सुधार किया गया है।

23. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह देखते हुए कि मृतका ने अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु संभवतः मृतका और प्रथम अभियुक्त के बीच गलतफहमी के कारण हुई होगी, क्योंकि उन्होंने उसे उसके माता–पिता के परिवार में उसके रिश्तेदार के समारोह में शामिल होने के लिए नहीं भेजा था।हालाँकि कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभियुक्त को अभिकथित अपराधों का दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि और दंड का आदेश विरोधाभासों पर गौर किए बिना तथा मृतक के साथ अभियुक्त के व्यवहार के बारे में बोलने वाले स्वतंत्र गवाहों के भौतिक साक्ष्य पर विचार किए बिना दिया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में भी यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा जांच ज्ञापन 5.10.2006 को तैयार किया गया था, उस समय मृतक के पिता सतानंद (पीडब्लू–4) मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उस समय कोई परिवाद नहीं किया और एफआईआर (एक्स.पी/13) घटना के 83 दिनों के बाद दर्ज की गई थी।अ.सा.–1 डॉ. गजेन्द्र ने मृतका (प्र.सा./2) का मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह अलमारी में रखी चीज़ें निकाल रही थी, तो चिमनी उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जल गई।शव–परीक्षा सर्जन (अ.सा.–12) ने भी अपनी राय दी कि जलने की चोटें दुर्घटनावश लग सकती हैं।हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी बयानों की सराहना नहीं की और केवल माता और पिता के बयानों के आधार पर अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया। हालांकि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए तीन पूर्व–आवश्यकताओं में से दो को साबित कर दिया है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात साल के भीतर जलने से हुई थी, लेकिन तीसरे तत्व को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उसे क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। इस प्रकार अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ दहेज हत्या का अपराध गठित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उपधारणा को लागू करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

18. परिणामस्वरूप, अपीलों को स्वीकृति दी जाती है।भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाला आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उन्हें इस आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।बताया जाता है कि वे जमानत पर हैं।हालाँकि, बीएनएसएस, 2023 की

धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक अभियुक्त/अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही एक वचनबद्धता भी होगी कि तत्काल निर्णय के खिलाफ या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता उस पर नोटिस प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur